न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 110/2018

1 भीमसिंह पुत्र मातुसिंह।
2 हनुमान सिंह पुत्र मातुसिंह।
3 मंगजी देवी पत्नी मातुसिंह समस्त जाति राजपुत निवासीगण लिखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
4 प्रताप सिंह पुत्र अर्जुन सिंह जाति राजपुत निवासी लिखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू जरिये भीमसिंह पुत्र मातुसिंह जाति राजपुत निवासी लिखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
5 प्रमोद कुमार दत्तक पुत्र बगड़ावत सिंह जाति राजपूत निवासी लिखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू जरिये भीमसिंह पुत्र मातुसिंह जाति राजपूत निवासी लिखवा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुमेर सिंह पुत्र शादुल सिंह।
2 बिशनसिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण लिखवा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 26.06.2018
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ बमुकदमा उनवानी
सुमेर सिंह वगैरह बनाम प्रताप सिंह वगैरह
मुकदमा नम्बर 270/2015

उपस्थिति :

1. श्री यशवीर लाम्बा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 12-4-25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 270/2015 में पारित निर्णय दिनांक 26.06.2018 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण सुमेर व बिशन सिंह/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अन्य पक्षकारों के साथ ग्राम लिखवा तहसील चिड़ावा हाल सूरजगढ़ की भूमि खसरा नम्बर 89, 90, 92, 100, 101, 120, 125, 126,127, 131, 132, 149, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 311, 312, 344, 616, 679/104, 689/116 के संदर्भ में घोषणा व विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के साथ कुल 16 वादीगण थे। इनके द्वारा कुल 72 प्रतिवादीगण के विरूद्व वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 09.03.2017 प्राथमिक डिक्री जारी की गई । इसके उपरांत दिनांक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

22.06.2018 को अंतिम डिक्री जारी की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में विचाराधीन वाद में अंकित सभी वादीगण व प्रतिवादीगण को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने आदेश 39 नियम 3 की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की उपस्थिति में तैयार नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व कब्जे की जांच नहीं की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट का आवेदन आदेश 9 नियम 7 सुनवाई हेतु लम्बित था। विचारण न्यायालय ने इस आवेदन को अदम हाजरी में खारिज कर विचाराधीन अंतिम डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि की है। मौके पर खसरा नम्बर 149 रकबा 1.05 हैक्टर भूमि पहले भी अपीलांट के कब्जे में थी और आज भी कब्जे में है। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपील मियाद बाहर है। अपील के साथ दफा 5 का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय में सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के हक हिस्से व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी को लेकर कोई विवाद नहीं है। अपीलांट विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 थे। इनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 7 के विरूद्ध ही अंतिम डिक्री की अपील प्रस्तुत की गई है। आदेश 41 नियम 20 सीपीसी के अनुसार सभी पक्षकारों को पक्षकार संयोजित नहीं करने से अपील पोषणीय नहीं है। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी अंतरिम स्थगन हेतु लागु होता है। अंतिम निर्णय पर लागु नहीं होता है। अपीलांट खसरा नम्बर 149 पर कब्जा होना कथित कर रहे है जबकि

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचाराधीन निर्णय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को खसरा नम्बर 149 में भूमि नहीं दी गई है। खसरा नम्बर 149 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ अन्य सहखातेदारों को भूमि दी गई है। अपीलांट द्वारा उन सहखातेदारों को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील विधिक बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से नॉनजाईन्डर ऑफ पार्टीज के कारण इसी स्तर पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण में विधिक बिन्दु का प्रश्न है इस संदर्भ में पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में सहमति से प्राथमिक डिक्री जारी हुई है। पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के हक हिस्से व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी को लेकर कोई विवाद नहीं है। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई है। अपीलांट विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 थे। इनके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 7 के विरूद्ध ही अंतिम डिक्री की अपील प्रस्तुत की गई है। आदेश 41 नियम 20(2) सीपीसी के अनुसार सभी पक्षकारों को पक्षकार संयोजित नहीं करने से, दौराने अपील समयावधि में पक्षकार बनाने का आवेदन पेश नहीं करने से अपील पोषणीय नहीं है। यहां यह भी विचारणीय है कि वरवक्त बहस भी अपीलांट द्वारा पक्षकार संयोजित करने की काई प्रार्थना नहीं की गई है। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी अंतरिम स्थगन हेतु लागु होता है। अंतिम निर्णय पर लागु नहीं होता है। अपीलांट खसरा नम्बर 149 पर कब्जा होना कथित कर रहे है जबकि विचाराधीन निर्णय में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को खसरा नम्बर 149 में भूमि नहीं दी गई है। खसरा नम्बर 149 में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ अन्य सहखातेदारों को भूमि दी गई है। अपीलांट द्वारा उन सहखातेदारों को पक्षकार ही संयोजित

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील विधिक बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से नॉनजाईन्डर ऑफ पार्टीज के कारण इसी स्तर पर खारिज योग्य पाई जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12-4-23 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर